1/4/2010 से पूर्व के विद्यालयों को RTE-2009 की मान्यता

(4)

First page

प्रारूप--2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं

दुरभाष एवंफैक्सनम्बर– 01592 – 235475/ 235474 E.mail Id.:- deoelejjn@gmail.com

कमाक – जिशिअ / प्रार / झु / मान्यता / 2012 / 1096

प्रबन्धक

विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, राजोता
पो० चि० खेतड़ी

दिनांक:– 31.10.14.

[illegible] शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए [illegible] शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया।

आपके दिनांक:– ~~20 / फरवरी 2012~~ 11/3/13 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राधार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक:– ~~[illegible]~~ 1/4/2010 से दिनांक:– ....—........ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है –

1 मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2 विद्यालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3 विद्यालय कक्षा [illegible] उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और [illegible] समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5 सोसायटी / विधालय किसी कैपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि –
(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(ii) किसी भी बालको शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(v) अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।
(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विधालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामाकन करेगा।

10 विधालय अधिनियम की धारा–19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं–

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

कीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरो की सख्या

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुच

अध्यापक पठन सामग्री / कीडा खेलकुद उकस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जायेगी।

12 विधालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15 विधालय के लेखाओ के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहीए।

16 आपके विधालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक 1096 ....है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

19 सलग्न उपाबंध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20. R.T.E के समस्त मापदण्डों की पूर्ति करनी होगी, वरना आपकी मान्यता 233 का रद्द की जावेगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुझुनूं (राज